

रिप्र0 मं १ एसः डेन्ट् /एम. थी: 589

नाएगेन्स नं 0 छन्। पी०-41

्उत्तर प्रदेशीय सराह द्वारा प्रस

विवासी परिजिष्ट

भाग-1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश ग्रधिनियम)

लखनज, मंगलबार, 8 श्रगस्त, 1995

श्रावण 17, 1917 गर्क सम्बत

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी भनुभाग-1

धा 1477 | सतह-वि 0-1-1 (क) 12 | 95 लबन्ड, 8 अगस्त, 1995

जीवस्चना

"मा । का साम्बान" को अनुच्छेह 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश िवान नण्डल द्वारा परित स्वर प्रदेश माच्यमिक शिक्षा सेवा चान गाँड (संशोधन) विधेयत, 1995 पर दिनात न जो होता प्रमुत्ति प्रदान की ग्रीर वह उत्तर प्रदेश मधिनियम संख्या 15 सन् 1995 के रूप में तिवाधारण की सूत्र प्रदेश प्रविस्वना द्वारा प्रकाशित किया जोता है।

ै उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) श्रुधिनितः । 1995

[उत्तर प्रदेश धितिशम संख्या 15 सन् 1995]

ं (जैसा दक्तर प्रदेश दिद्यान मादल हारा वादित हुछा)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड श्रीयनियम, 1982 का श्रपतर संशोधन करने

के लिए

अधिनियम

मारत गणराज्य के छियासीसर्वे वर्ष में निम्मलिखित अधिनियम बनाधा जाता है:-

1--(1) यह झिधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन)

म्बिनियम, 1995 कहा जायेगा ।

(2) यह 28 विसम्बर, 1994 को प्रवृत्त हुन्ना समझा जायेगा।

संक्षिप्त नाम भीर प्रारम्स

Man Benis हन् 1982 से बीर्क शोर्चन का असिवायन

WATER

सर प्रवेश माध्यमिक शिक्षा तेवा चयन बोर्ड श्रिधिनिय क प्राप्त अवश्य भाष्याभक शिक्षा सवा चयन बाड श्राधानय 1982 की, जिसे आगं मूल इसि वियमकुत्री गया है, दोर्घ शीर्षक में, शब्द "तेवा चयन बोर्ड" के स्थान पर शब्द "तेवा इस्रायोग" कुछ विए क्षायेंगे

alki 1 वारा 2 वा

14

क्ल प्रधिनियम की घारा । में उपधारा (1) में तक्द "सेवा चयत बोर्ड" के स्थान भिनेवा भ्रायीच" रख विए जामें ने । पर शब्द

4 - मा अधिनियम की धारा 2 में :--

ख । ब (क) निकाल दिया जायेगा;

) इस प्रकार निकाल गए खण्ड (का) के परवात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा किये

"(ख) 'मृष्यक्ष' का ताश्यर्थं द्वायोग के प्रष्यक्ष से है और इसके धन्तर्गत सुख्यक्ष की अनुपहिषति में, तत्समय श्रष्ट्यक्ष के कृत्यों का सम्यादन करने वाला कोई श्रम्य व्यक्ति भी है ;

(ग) 'भ्रायोग' का तास्ययं धारा 3 के स्थिनि स्थापित उत्तर प्रवेश माध्यमित शिका तथा श्रायोग से हैं।";

खण्ड (छ) के त्यान पर निम्नलिखित खण्ड रख विया जाएगा, झर्पात् "(छ) 'सबस्य' का तास्ययं कायोग के सबस्य से हैं और इसके झालाँत झायोग का घटमल की है;";

खण्ड (ज) निकाल दिया जायगा ;

इस प्रकार निकाले गए खब्द (ज) के पश्चात् निम्नलिशः खब्द बढ़ा डिए

"(अज) नागरिकों के हान्य थिछड़े वर्गों का तास्त्रयं उत्तर प्रदेश लोक सेवा ्त्रियाः नाधारका क शन्य १५७ इ वना का तात्वय अलर अवस लाक सवा (श्रनपुचित अतियों, श्रनुपुचित अन-जातियों और शन्य पिछड़े वनी ये लिये अश्रारतका) ध्रिधिनियम, 1994 को शनुसुची एक में विनिविट नागरिकों के पिछड़े मा वर्गी से है ;

(स) 'विनियम' का तास्पर्य घारा 34 के ब्राधीन बनाए किसी विनियम

बन्याय वी मीर बारा 3 से 11 वा बढ़ाया जाना

5- स्त श्रधितिया की । 2 के पश्चा 11 वी गई है, बढ़ा दिया जायना, श्रथीत् :--। 2 के पश्चात् निम्नलि प्रध्वाय, जिसमें धारा ३ से "श्रध्याय-वो

ायोग की स्थापना ग्रीर कृत्य

्त्र⊸−(1) ऐंसादनाक से जिसे ्रांथ सरकार, प्रधिसुचना द्वारा, इस निमित्त श्रायोग की तियत करे, एक अयोग स्थापित किया जायगा जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा तेवा ब्रायीम कहलाएगा ।

(2) भ्रायोग एक निगमित निकाय होगा। यह सम्यूण उत्तर प्रदेश में शक्ति का प्रयोग करेगा घोर इसका मुख्यालय इलाहाबाव में होता ।

·- (1) ब्रामोग में एक घटनडा और छः ते धनधिक क्रम्य सबस्य होंगे जो, ज्यधारा प्रायोग की (2) के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार हारा नियुक्त किए

(2) इत्यक्ष झौर सटस्य ऐसे स्वधितयों में से नियुवतं किए जायेंगे, जी--

(क) राज्य सरकार की राय में, निक्यात शिक्षाबिद रहे हों, या जिन्होंने किया के अंब में मूल्यवान योगदात है या हो; या

(ख) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में भ्रावार्य के कप में या ऐसे किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या उससे संबद्ध किसी महाविद्यालय में, दल वर्ष से स्निम्न स्रवधि के लिए, प्राचार्य के रूप में कार्य किया

(ग) प्रदेश की न्यायिक, प्रशासनिक गा शिक्षा सेवा में, इस वर्ष से मबधिक लिए, क्येड्ड प्रधिकारी के क्य नार्व किया हो; बा

8

dead of the season of the

ोनिहसी संस्था के पन्द्रह वर्ष से अतिस्त प्रविध से जिए, प्रावार्य के इत

क्रिया हो।। 14 · 特理·特里特的 ि संवारों के स्वीत प्रायंक नियुविक उस दिनों से रि. शेही गी जिस उसे राज्य हरकार द्वारा अधिमूचित किया ज्ञाय।

(१) द संग्रीयनियम के उपबन्धों के प्राभीन रहते हुए, अरपंक सदस्य चार वर्ष संबंदमी की के प्राथिय में लिए पदंधारण करेगा।

अंक्षा । वा प्रमाधि भीर सेवा की शत

क्षा कि के किए सदस्य नहीं होया ।

कीई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्तान्नरित लेख हारा प्रापना कि मिंदि प्रकृतिका सकता है, किन्तु वह पद पर तब तक बना शहेगा जब तक कि उसका स्थाग-किनोजन प्राप्त सरकार होता स्वीकार न कर लिया जय।

कि (4) सबस्यों, का पर पूर्णकालिक होता और उनकी सेवा के निवन्धन और शर्ते ऐसी होंगी खेंसी राज्य सरकार, जावेश द्वारा, निवेशित करें।

(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए मी, विश्ववित, यदि उसने बासठ वर्ष ्रकी खायु प्राप्त कर ली हो, न तो सदस्य नियुवन किया जाएगा और न इस रूप में बना The state of the s

6-(1) राज्य सरकार, श्रावेश द्वारा, किसी सबस्य की वि से हटा सकती है, यवि

त्रा स्वर्थों को हटाले की स्वर्थों को स्वर्थों को स्वर्थों की स्वर्थों की स्वर्थों को स्वर्थों को स्वर्थों की स्वर्थों की स्वर्थों स्वर्थों सरकार राज्य सरकार की शवित

THE REPORT OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADD

が作 100mm たら、ちゃ

(क) दिवालिया न्याय-निर्णीत किया जाय; या

(ख) ग्रपनी पदावधि के दौरान, ग्रपने पद के कर्तब्यों से परे किसी वैतनिक सेवायोजन में कार्य करे; या

(म) प्राचन सरकार की प्राय में, सानसिक या शारीरिक जीवता या सिख कदोचार के कारण यव पर बने रहने के लिए श्रन्यप्वत हो; या

(घ) इस अधिनियम या उसके प्रधीन बनाए गए निवमी अधीन किसी अनर्हता का भागी हो जाय।

A Tribal स्पद्धीकरण -- अहीं कोई सदस्य किसी संस्था द्वारा या उसकी स्रोर से किसी संविधा यां करार से, किसी प्रकार से संबद्ध हो या उसमें हिनबद्ध हो या उसके लाग में वा खत्तसे प्राप्त होने बाले किसी विश्व रूप में सम्मिलित हो। वहां उसे खण्ड (ग) के प्रयोजनार्थ कहाचारका दोवी समझा आएगा।

पुरुष के प्रमान के अधीन कवाचार के अध्वेषण है उसे सिडकरने की प्रक्षित ने सी (2) इस घरण के अधीन कवाचार के अध्वेषण है उसे सिडकरने की प्रक्षित ने सी होबी जैसी जिहित की जाया

7-- भाषोष भवने साथ ऐसी रीति से भीर ऐसे प्रयोजनों के लिए जी धारा 34 कि हो कि स्वीचित करने के भ्रष्टीन बनाए गए जिन्दिनों हारा अवप्रतित किए जाये, की शांकित किसी ऐसे क्यक्ति को शुक्त कर साथे जिसकी सहायता या सलाह वह इस भ्रष्टिनियम के किस्ती उपबन्धों की कार्यीन्वत करने ले जिए लेना चाहें।

-(1) द्वामोग का सिच्च राज्य सरकार द्वारा पांच वर्ष से श्रनधिक श्रवधि के द्वामोग का सिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया आया।, श्रीर उसकी सेवा कर्मचारिकां की श्रम्य शर्ते ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार श्रावेश द्वारा, व्यवधारित करे।

(2) ऐसे निवेशों के पधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त जारी करें, आयोग ऐसे अन्य कर्मचारियों को, जिन्हें वह इस छिबियम के अधीन अपने करयों का बलतापूर्वक पालन करने के लिए प्रावश्यक समझे, और सेवा के ऐसे निबन्धन और शर्ती पर बिम्हें भाषोग उचित समझे, नियुक्त कर सकता है।

9-- ग्रायोग की निम्नलिखित शक्तियां ग्रीए कतंक्य होंगे, भवात् :--श्रायोग को (क) श्रध्यापकों की भर्तों और पदीन्नति की रीति से शक्तियां और सम्बन्धित विवयों पर मार्गवर्शक सिद्धान तैयार करना; (ख) अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए प्रश्यावयों का साझात्कार करना झौर चयन करना ;

(म) खण्डा (ख) में विनिदिष्ट प्रयोजनों के लिए विशेषज्ञों का चयन करना भीर उन्हें श्रामंत्रित करना;

(घ) जयन किए वए अध्यक्षियों की नियुक्ति सौर उनकी पदोक्सित को सम्बन्ध में सिफारिश करना;

(ङ) ब्रष्ट्यापकों की पत्रचयुति, हटाए जाने या पंक्तिचयुति से सम्बन्धित विषयों में प्रवन्तांत्र को सलाह देना;

(च) भ्रष्ट्यापक वर्ग की सदस्य संख्या और भ्रष्ट्यापकों की नियुक्ति, पदीभ्रति, बंब ब्युति, यब से हटाने, सेवा समाध्ति या पंक्तिबयुति के सम्बन्ध में नियतका सिक् विवरणियां या भ्रम्य सूचनाएं संस्थाओं से प्राप्त करना;

(छ) विरोतों की उपलक्षियां और यात्राभक्ते और प्रश्य असे नियत करना,

(अ) श्रायोग में बिहित निधि का अधन्ध करना;

(ज) ऐसे प्रत्य कर्तव्यों का पालन इरना घौर ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग (अ) एत अन्य कतक्या का पालन करना आर एता अन्य सामापा का जनाय करना, जैसी बिजित की अधि, या जो इस प्रधिनियम या इसके प्रधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रधीन प्रपने हुत्यों का सम्यादन करने जो लिए श्रामुक

1 0-- (1) किसी अध्यापक की नियुक्ति करने के प्रयोजन के लिए प्रबन्धतंत्र विश्वमान या भर्ती के बर्ष के दौरान होने वाली रिनितयों की संख्या भ्रोत, संस्था के प्रधान के पद से भिन्न, पद की स्थित में, उत्तर बंधन का प्रांक्ष्या आर, सस्था क प्रधान क पद सामश पद का स्थात म, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (धनुमूचित ज्ञातियों, धनुमूचित ज्ञानियों, धनुमूचित ज्ञानियों के लिए धाइताण) प्रधिनियम, 1994 के धनुसार धनुमूचित ज्ञानियों, धनुमूचित ज्ञानियों और प्रत्यापित के प्रमुख्यों के प्रमुख्यों के लिए धाइतित की ज्ञाने वालो रिकितमों की संख्या मी अवधारित करेगा धीर रिकितमों को ऐसी रीति से धीर ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के साध्यम से, जीसा चयन की प्रक्रिया विहित किया जाय, भ्रायोग को भ्रधिसुचित करेगा।

(2) श्रध्यापकों के पढ़ों पर नियुक्ति के लिए श्रध्याययों के चयन की प्रक्रिया ऐसी होगो जैसी विहित की जाय।

परम्तु कार्योग प्रतिमात्रालो ब्यक्तियों का श्रामंत्रित करने की दृष्टि से उपधारा (1) के श्रधीन ग्रधिसुचित श्वितयों का राज्य में ब्यापक प्रचारकरेगा।

-(1) भ्रायोग, धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन रिवित के भ्रधिसुचित किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शील अध्याययों का साक्षात्कार भ्रम्याययों का करेशा भ्रोत को नियुवित के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाए आये, उनका पैनल तथार हरेगा।

(2) ब्रायोग उपधारा (1) में निविद्य पैनल को धारा 10 की उपधारा (1) में निर्विद्य क्रियंकारी या प्राधिकारी को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, अपसारित

(3) उपधारा (2) के अधीन पेनल प्रास्त होने के पश्चात संबद्ध प्रधिकारी या प्रीधिक कारी धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन श्रीधमुचित रिक्तियों के सम्बन्ध में संस्था के प्रबन्धत्व को चरन किए गए श्रुक्षियों के नाम बिहित रीति से मुचित करेगा।

(4) प्रबच्धतंत्र, ऐसी सूबना की प्राध्त के दिनांक से एक मास की श्रवधि के फीतर ए से चयनित शम्यर्थों को, नियुक्ति-पह जारी करेगा।

एस ध्यानत प्रत्यक्ष का, त्रिकृतिक प्रत्यक्ष जारक करता ।

(5) जहीं ऐसा ध्यमित क्षस्यक्षीं नियुक्ति-पत्न में अनुमत समय के भीतर या ऐसे बढ़ाए गए समय को भीतर को सा प्रवस्थ तंत्र इस निमित्त स्वीकार करे ऐसी संस्था में यद का कार्यभार घहण नहीं करता है या जहां ऐसा क्षम्यची नियुक्ति के लिए क्षस्यया उपलब्ध नहीं है, वहां से अधिकारी प्राप्तिकारी प्रवस्थात के क्षमुरोध पर क्षायोग द्वारा उपकाश कहीं से कि निया प्राप्तिकारी प्रवस्थात के क्षमुरोध पर क्षायोग द्वारा उपकाश (2) इ.चीन झप्रसारित पैनल से नया नाम या नए नाम, विहित रीति से मूचित करेगा।

a 6 — मूल क्रिकियम का अध्याय-तोम जिससे छारा 12, 12 – सं, 12 – सं, 12 – सं, 13, 14, 15, 18 है-के बीर 15 – ख दी गई है निकाश दिया जाया। 1

स्वयाय-तीन मीर घारा 12 से 15-ख हा निकाला जाना

ि विक्रम ने पुर स्वितियम् की अत्या 16 में, उपधारात्व में निक्रम ने कि के कि कि कि

STT 16 WI संशोधन

ि । कि । सम्बद्ध संक्षीर समार "किन्तु सारा 21 – स" के स्थान परशस्त्र, संक्ष्मीर सार कि समार "किन्तु सारा 18, 21 – स" रख दिये वायेंगे।

Control of the second interest of the second of the second

- ्विक "किन्दु धार्य 18, 21-ख" रक्ष विद्या नायगे।

 (क्) शिक्त की पूर्व ("उत्तर प्रदेश मार 'पक प्रिक्ता सेवा श्रायोव और चयन बीवें
 (क्यों केने क्षांधिनयम्, 1992 के प्रारम्भ के विनोक्त की या उत्तरे पश्चात् प्रवस्त्र संव हिंदी की किन्दु के क्षांपरम्भ के विनोक्त की या उत्तरे पश्चात् प्रवस्त्र संव हिंदी की किन्दु के प्रदेश के प्रवस्त्र संव की सिक्ति किन्दु की कार्यों। "से क्षांध्यानक किन्दु की कार्यों। सेवा चयन बीवें (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ से विनोक्त की या उत्तरे पश्चात्र प्रवस्त्र की कार्यों। "रख विए जायेंगे;
 - (व) हिलीयं परम्तुक से पश्चान निम्नलिखित परम्तुक बढ़ा विया आएगा, ग्रयात्।--"बरियु वह बी कि तैवा काल में मृत किसी प्रध्योपक का या किसी संस्था के ग्रन्थ कि बीरित को प्रार्थित, जो इंच्डरमिबिएड विका प्रधिनियम, 1921 के प्रधीन बिहित प्रहेताएँ एकता हो, उनक विशिष्ण की ग्रार्थ 9 की उपग्रार (4) के प्रधीन बनाए नए बिनियमों के ग्रनुसार प्रशिक्षित स्नातक देव में ग्रध्यापक के रूप में वियुक्त किया जा सकता है।"

्रिति हे- - मूल झिडिवियम की छारा पुत्र में, उपधारा (1) में, शब्द "झब्याय तीन" के स्वान पर बाह्य "द्रहथाय बी" रा . विए जाया ।

धारा 17 का वंशोध म

92 - मूल प्रविभिन्नम की धारा 1 के स्थान पर निम्नलिखित घारा रख वी जामगी, क्रवात् ।--"18-(1) जहीं प्रबंधारण ने धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार आयोग "18-(1) जहीं प्रबंधारण ने धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार आयोग के किसी रिक्ति की प्रवंधारण के एवं सार्थ अध्योगक के किसी रिक्ति की प्रवंधार रही ही, यह प्रबंधारण इस धारा में एतब्यत्वात उपधारात रीति ते, किसी धार्थायक की कृषतमा तबर्ष धाधार पर निधी मती या पढीर्जात द्वारा, नियुक्त कर सकता है।

धारा 18 की

(2) प्रधानाचार्य वा प्रेष्टान झड्यापक से मिश्र किसी झड्यापक की, जिसे सीर ती

- हारा सिम्बस्त किया जाना हो, उपद्यारा (8) में निर्मिष्ट खर्यन सिमित की सिकारिश पर नियुक्त किया का सकता है;
 - ः (3) प्रधानाचारं या प्रधान ग्रध्यापक ः विश्व किसी श्रध्यापक की, जिसे पद्योश्वति हारा वियुक्त किया जाना हो--

 - (क) प्रवक्त कार वापा १० (क) प्रवक्त चेंद्र प्रहेता एक्स वाले प्रवक्त चेंद्र प्रहेता एक्स वाले प्रवक्त कारक प्रवे में क्येंट्रिस क्रम्यापक को प्रवक्त केंद्र से । (ख) प्रशिक्त कारक प्रवे में किसी रिवित के मामले में, निहित क्रहेता रखें में बाले किस के प्राप्त को प्रवे में क्रियाचित को प्रशिक्षित बनातक प्रेड में ध्रव्यापक के क्य में ;

बिहित रीति से पवी स्नति करके नियुक्त किया जा सकता है।

- (4) प्रस्नामार्थके पत्र में किसी रिमित को प्रवस्ता ग्रेड में क्यंड्टसम ग्रष्टमापक की पदीक्षति ककी गराका सकता है।
 - (5) प्रधान शहसायक के पद में किसी दिवित की प्रशिक्षित स्नातक पट में क्येक्टर्सम ध्रव्यायक की पढ़ोझ सि करके मरा जा सकता है।
 - (6) उपखारा (2) धौर (3) के ग्रहीन नियुक्तियों करने के प्रयोजन के लिए प्रकारत रिक्तियों की संबंधा धौर उक्कर प्रवेश लीख सेवा (ग्रनुसुक्ति जातियों, श्रनुसुक्ति जातियों, श्रनुसुक्ति जातियों, श्रनुसुक्ति जल-जातियों धौर धार पिछड़े बगों के लिए ग्रारकण) प्रधिनियम, 1994 के श्रनुस्कित जातियों भीर काम्प्रकृत जातियों धौर नागरिकों के श्रम्य पिछड़े बगों के श्रम्य पिछड़े वगों के लिए ग्रारकार पिछत की श्री श्रम्य प्रश्नित वगों के लिए ग्रारकार पिछ ग्री श्री श्रम्य प्रश्नीय विकास प्रश्नीय प्रश्नीय प्रश्नीय विकास प्रश्नीय प्रिक प्रश्नीय वर्गों के झुम्याच्याका लिए झाराशत का जान वाला रावतथाका सबयामा झबधारत इंरेबी और उसके परवात् य्याशवय पुष्टित सीधी भरी द्वारा घरी जाने दाली रिवितयो जिसी विद्यासय निर्देशक का पूचित करेंगा और यदि प्रवश्यति रिवितयों की सुचित इन्कें में विद्युक्त रहता है और झुम्यायक का पव बास्तव में सीन मास से प्रधिक रिवत

रहता है तो जिला विद्यालय निरीक्षक, ऐसे निवेशों के क्वीन रहते हुए जैला कि निवेशक जारी करे, ऐसी संस्था से या ग्रापमें अभिलेख से सत्यापन के ऐसी रिक्तियों की श्रवद्यारित कर सकता है।

(त) जिला विद्यालय निर्मेशक, उपधारा (६) के द्रायीन, यवास्थिति, रिक्तियों की सुबना की प्राप्ति पर रा रिक्तियों का द्रायार करने के परवात, सम्माय के मधारी उपिताल करने की रावता की रिवरायों की सुबना प्रसारित कर वेपा, श्री, इच्छरमीविएड शिला इसिनियमों के प्रोप्तीन विहित प्रहेताएं रखने वाले व्यवित्यों ते, प्रधानाचार्य या प्रधानाय की कि के प्रधान विहित प्रहेताएं रखने वाले व्यवित्यों ते, प्रधानाचार्य या प्रधानाचार की कि में प्रधानाचार की कि प्रधान व्यवित्यों ते, प्रधानाचार्य या प्रधानाचार की कि प्रधान व्यवित्य करें विविद्याल की कि प्रधान व्यवित्य करें की कि प्रधान व्यवित्य करें विविद्याल की कि प्रधान व्यवित्य करें की कि प्रधान व्यवित्य करें विविद्याल की कि प्रधान व्यवित्य करें की कि प्रधान व्यवित्य करें की कि प्रधान व्यवित्य करें की कि प्रधान विविद्याल करें कि प्रधान विविद्याल करें की कि प्रधान विविद्याल करें कि प्रधान विविद्याल करें की कि प्रधान विविद्याल कर कि प्रधान विविद्याल करें की कि प्रधान विविद्याल कर कि प्रधान विविद्याल कर के प्रधान विविद्याल कर कि प्रधान विविद्याल कर की प्रधान विविद्याल कर कि प्रधान विविद्याल कर कि प्रधान विविद्याल कर कि प्रधान विविद्याल कर के प्रधान के प्रधान विविद्याल कर कि प्रधान विविद्याल कर के प्रधान विविद्याल कर के प्रधान कर के प्रधान विविद्याल कर के प्रधान विविद्याल कर के प्रधान विविद्याल कर के प्रधान विविद्याल कर के प्रधान कर के प्रधान विविद्याल कर के प्रधान कर कर के प्रधान कर कर के प्रधान कर के प्रधान कर कि प्रधान कर कर के प्रधान कर कर कर कर कर कर

(8) (क) प्रत्येक सम्भाग के लिए सीधी मती द्वारा तदर्थ निश्वित के लिए प्ररूपियों के चयन के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे-

(एक) सम्मागीय उप शिक्षा निवेशक;

(एक) सम्मागाय ७५ शाक्षा ानदशक; (वी) सम्मागीय उप शिक्षा निदेशक (द्वितीय); (तीन) सम्मागीय सहायक शिक्षा निदेशक (वेशिक); सम्मागीय उप शिक्षा निदेशक में जो चयेष्ठ होगा वह मुख्यक्ष होगा।

(ख) खण्ड (क) के प्रयोग गठित चयन समिति ग्रन्थियों का चयन कैरोग, ज्यामित ग्रन्थियों को चयन कैरोग, ज्यामित ग्रन्थियों को मुची तैयार करेगो, ज्यामें संस्थामों की ग्रावंदित करेगी और उपमारा (2) के ग्रवोन नियुक्ति के लिए प्रवस्थांत को उनके नाम की सिखारिस

(य) अन्यिषियों के खयन के लिए मायद॰ड और प्रक्रिया और बयनित अध्य-षियों की सुची तैयार करने की और संस्थाओं की उनके प्रार्वटन की रीति ऐंे होगी, जैसी विहित की जाय।

(9) उपधारा (1) ले ग्रधीन तदयं श्रव्यापक की प्रत्येक नियुक्ति उस दिनाक से प्रभारतीन हो बाएगी जब वह ग्रध्ययी जिसकी सिकारिश ग्रामीग द्वारा की गई हो, कार्य भार बहुण कर से।

(10) धारा 21- घ के उपबन्धा , यथायश्यक परिवर्तन सहित, ऐसे अध्यापको पर लागे होंगे किन्हें इस घारा के उपबन्धों के प्रधीन नियुक्त किया जाना हो।" मुल ब्रिधिनियम की धारा 19 में,--

ETT 19 61

(क) शब्द "बोर्ड" चे स्थान पर शब्द "धायोग" रख विया जायवा।

(ख) शब्ब मीर मंत्र "घारा 14" के स्थान पर शब्ब मीर मंत्र "घारा 9" रख विप्

ला येथे ।

1 !---मूल ग्रविनियम की धारा 20 में, शब्द "बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति MT 20 61 कृत कार शब्द "द्वायोग के शब्द यो द्वायोग द्वारा शाहि हत किसी द्वारा स्वापित र स्वित् संयोधन

12-- मूल इ.धिनियम की धारा 21 में, शक्य "बीड" के स्थान पर शक्य "झायोग" रख विधा WPRT 21 mf संशोधन जायका ।

18--मूल इ.सि.नियम की धारा 22, 23 और 26 में, शब्द "बोडं", जहां कहीं भी साया वारा 22, 23 का पौर 26 ही, के स्थान पर शब्द "द्यायोग" रख दिया जायगा। संशोधन

1 4--मूल द्वधिनियम की धारा 27 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख वो जाएगी, हार्वीत्:--STET 27 WI "27-- बायोग के सभी घादेश ग्रीर वितिरुखय धारा 8 के ग्राधीक नियुक्त सचिव ग्रा प्रतिस्थापन

डा^{देशों का द्रांधि- द्रायोग द्वारा प्राधिकृत किसी क्रम्य स्रधिकारी के हस्ताक्षर से नावीकरण द्राधिप्रमाणित किए जायेंगे।"।} प्रमाणीक रज

15 मूल इधिनियम की धारा 28 में, शब्द "बोड" के स्वान पर शब्द "झायोग" रख aret 28 mi विया जायगा। संशोध व

मई छारा 29 ml वहाया जाना

-मूल ग्रविनियम की घारा 28 से पश्चात् निम्नलिखित घारा बढ़ा वो जाएगी, ग्रथात्।:--"29--- श्रायोग छारा 34 के श्रधीन बनाए गए विनियम द्वारा अपने श्रवस था अपन कि ती सवस्य या श्रीतिकारी को श्रायीय द्वारा या श्रायीय में स्विष् तये श्रायायोजन कार्य के सामान्य ग्रवधिन श्रीर चनके सम्बन्ध में निवेश होने को श्रायती श्वाचित, श्रिमको श्रमार्गत कायीलय के प्रमुख्यक और श्रामीय के श्रामारिक

डलर प्र प्रव्या हेश संबदा 1 HY 195 उत्तर प्रशे मध्यादेश ह 31सन् 10!

प्रशासन को सम्बन्ध में किए गए क्यंश्रे सम्बन्धित शक्ति भी हे प्रत्वायोजित कर

लक्षा के कि कि स्थान वर, निक्त-

लिकित परानुक रक विया जायात, प्रयोत-"यरम्यु ऐसा की है धावेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा स्वयन बोर्ड (बंशोधन) इक्षिनियम, 1995 है प्रारम्भ के दिनोक से वो वर्ष के पश्चात् नहीं विया जाएगा ।"

19— मूल प्रविनियम की वारा 33-क में, उपवारा (1) में, खबड (क) ए, उपखबड़ (वित्त) में, शब्द की एकं कि वह उत्तर प्रवेश माध्यमिक शिला सेवा धायोग कीर खयल (वित्त) में, शब्द कीर कं "वित्ती कि वह उत्तर प्रवेश माध्यमिक शिला सेवा धायोग कीर खयल कोडें (वित्तीय में 1992 हारा जिला सेवा धायोग कीर चयल कोडें (वित्तीय वंशोधन) प्रवि- "वैती कि वह उत्तर प्रवेश पाव्यमिक शिला सेवा धायोग कीर चयल कोडें (वित्तीय वंशोधन) प्रवि- वित्तीय सेवा प्रविक्त करें पूर्व योग रख विष् जायेंगे।

#171 33-W का संशोधन

30 - मूर्य क्षक्रिनियम की वृश्या, 33- ख के परकात् निम्नलिकित छारा बढ़ा थी जायगी, क्रवीत्।-

नई बारा 34 जा बढावा जाना

"34--(1) भाषीम स्थम करने के लिए, साझारकार करने के लिए, फीस विद्वित करने हेंदु और एस स्रिविषयम के स्रिवीन श्रपने कर्तवर्धों का पासन और इन्सी 89 आर १:स द्वाधानयन क ग्रधान ग्रयन करण्याका पासन आर हरणा को सम्यादन करने के लिए ग्रायोग द्वारा प्रनुसरणीय प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार के पूर्वानुमीयन से विनियम बना सकता है या उन्हें संशोधित कर सकता है। विनियम बनाने ु ही शक्ति

परन्तु इस उपधारा से प्रयोग प्रथम विनियम शक्य सरकार द्वारा गळड में विधिसूचना द्वारा बनाए जायेंगे ।

(2) उपधारा (1) के श्रधीन बनाए गए विनियम, इस ग्रंधिनियम यो धारा 35 क ग्रधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों ते भ्रसीनत नहीं होंगे"।

वंकमच कालीन

21--- मूल खिलियन ली बारा 12 के, जैसी कि वह इस खिबिनयम के प्रारम्भ के ठील पूर्व बी, अधीन निगमित निकाय के कप में गठित माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, ऐसे प्रारम्म पर विध-

हित हो बाबवा और ऐसे विघटन पर,--(स) ऐसे बोडं की सबी सन्वित्वों और परिस्वितियां और ऐसे बोडं के सबी आहण

वाधित्व सीर बाब्य दा, बाहे किसी संविदा के अधीन ही या अन्यया हो, मूल अधिनियम की बारा 3 के अधीन स्थापित श्रायोध की प्रश्तरित ही लायेंगी;

(ख) ऐसे बोर्ड में ःितिनियुक्ति पर काम करने वाले सची व्यक्ति ध्रपने मूल विभागों में प्रत्या तत हो जायेंगे ;

(ग) ऐसे बोर्ड के प्रत्येक पूर्णकालिक सर्मेचारी की सेवाएं मूल श्रीविषयम की खारा 3 के ब्राचीन क्यापित श्रायीय को श्रातरित ही जायेगी;

(व) मूल क्रिंतियम के द्वाय तीत को, जैसा कि वह इस प्रधिनियम के बारम्ब के ठील पूर्वेषा, प्रधान ऐसे बोर्ड के समझ लम्बित कोई विषय और मूल प्रधिनियम की बारा 21 के ब्रुबीन ऐसे बोर्ड के समझ लियत कोई सन्दर्भ मूल ब्रीधनियस की बारा 3 के ग्रधीन स्थापित ग्रायोग को ग्रन्सरित हो जाएगा।

22--(1) उल्हर प्रदेश मान्यनित शिला सेवा 'वयन बोर्ड (वंशोधन) ग्रन्यावेश, 1995 प्रतर्द्वारा निरक्षित निया जाता है।

निरसन घौर प्रवाव

ंडतर प्रदेश प्रक्षा देश संबंधा 13 सब् 1995] उत्तर प्रदेश ब्रह्मादेश सं 0

81सन् 1994

(2) ऐसे निरसन के होते हुए की, उपवारा (1) में निर्विष्ठ क्षण्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश मारुयनिक शिला सेवा चयन कंड (संतोधन) कृष्यारेश, 1994 द्वारा यवासंशोधित मूल क्षितियम के उपवार्थों के सुधीन इत कोई कार्य या कार्यवाही इस श्रीवनियम द्वारा यवासंशोधित मूल क्षितियम के तरसमान उपवार्थों के सुधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएभी मानी इस क्षीं विनियम् के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त ये।

> द्याशा से, नरेख कुमार नारंग, भम्ब सचिव।

No. 1477 (2)/XVII-V-1-1(KA)12-1995

Dated Lucknow, August 8, 1995

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Covernor is pleas.

order the publication of the following English translat ion of the Uttar Pradesh Madhyanik Shiksha Seva Chayan Bourd (Sansodban) Adhinlyam, 1995 (Uttar Pradesh Adhinlyam Sankhya 15 of 1995) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and againsted to by the Covernor on August 4, 1995.

THE UTTAR PRADESH SEPCONDARY EDUCATION SERVICES SELECTION BOARDS (ANIENDMENT) ACT, 1995

(U. P. Act. No. 15 of 1995)

(As passed by the Uttar Fradesh Legislature

AN

ACT

further to amend the Unar Fradesh Secondary Education Services Selection Boards Act, 1982

It is hereby enacted in the Forty-sixth Year of the kepublic of India as follows:

Short title and

- (1) This Act may be cared the Uttar Pradesh Secondary Edu-gation Services Selection Boards (Amendment) Act, 1995.
 - (2) It shall be deemed to have come into force on December 28, 1994,

Amendment of long title of U.P. Act no. 5 of 1982

2. In the long title of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Boards Act, 1982, hereinafter referred to as the principal Act, for the words 'Services Selection Boards' the words 'Services Commission' shall

Amendment of

- 3. In section 1 of the principal Act, in sub-section (1), for the words 'Services a Selection Boards' the words 'Services Commission' shall be
 - 4. In section of the principal Act,-

(a) clause (a) shall be omitted;

(b) after clause (a) as so omitted, the following clauses shall be inserted, namely:-

"(b) 'Chairman' means the Chairman of the Commission and includes any other person performing, in the absence of the Chairman, for the time being, the functions of the Chairman;

(c) 'Commission' means the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission established under section 3;";

(c) for clause (g), the following clause small be substituted, namely ;-"(g) 'Member' means a member of the Commission and includes its

(d) clause (h) shall be omitted;

(e) after clause (h) as so omitted, the following clauses shall be inserted, namely:

"(hh) "her backward classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994;

(1) 'regulation' means any regulation made under section 34;".

Insertion for Chapter II and scotles 3 to 11

5. After section 2 of the principal Act, the following Chapter containing sections 3 to 11 shall be inserted, namely :"CHAPTER II

ESTABLISHMENT AND FUNCTIONS OF THE COMMISSION.

3. (1) With effect from such date as the State Government may, by notification appoint in this behalf, there shall the Commission be established a Commission to be called the "Ultrar Pradesh Secondary Education Services"

or area of the state of the sta

- (2) The Commission shall be a body corporate. It shall was bexercise powers throughout Ultar Pradesh and its headquarters shall be at Allahabad.
 - (1) The Commission shall consist of a Chairman and not more than six other members who shall, subject to submaission section (2), be appointed by the State Government. Composition of the Commission

(2) The Chairman and members shall be appointed from amongst the persons who have-

- (a) been in the opinion of the State Government, an eminent result educationist or have made valuable contributions in the field of education; or
- (b) worked as a Professor in any University established by law in Uttar Pradesh or as a Principal of any College recognised by or affiliated to such University for a period of not less than ten years; or
 - (c) worked as a senior officer in the Judicial, Admenistrative or Education Service of the State for a period of not less than tem years; or
 - (d) worked as a Principal of any Institution for a period of not less than fifteen years.
 - (3) Every appointment under this section shall take effect from the date on which it is notified by the State Government.
 - 5. (1) Subject to the provisions of this Act, every Member shall rem of officer hold office for a term of four years. survice of Mem-
 - (2) No person shall be a member for more than two consecutive
- (3) A member may resign his office by writing under his hand addressed to the State Government, but he shall continue in office until his resignation is accepted by the State Government.
 - (4) The office of the members shall be whole time and terms and conditions of their service shall be such as the State Government
 - may by order, direct.

 (5) Notwithstanding any thing contained in this section, no person shall be appointed or continue as a member if he has at fined the age of sixty two years.
 - 6: (1) The State Government may, by order, remove from office

Powers of the any member, if he

Powers of the any member, if he

State Government (a) is adjudged an insolvent; or

to remove the (b) engages, during his term of office, in any paid

Member employment out side the duties of his office; or

- (c) is, in the opinion of the Sate Government, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body or of on the proved misconduct; or
- (d) incurs any disqualification under this Act or the rules

Explanation—Where a member becomes in any way concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of any lastitution or participates in any way in the profits thereof or in any benefit of emolument arising therefrom, otherwise than a member, he shall, for the purpose of clause (c), he deemed to be guilty of misconduct. misconduct.

- (2) The procedure for the investigation and proof of misconduct under this section shall be such as may be prescribed.
- 7. The Commission may associate with itself, in such manner and for such purposes as may be determined by regulations

 Power to made under section 34, any person whose assistance or advice it may desire to have in carrying out any of the provisions of this Act.

- (1) The Secretary of the Commission shall be appointed by the State Government on deputation for a term not exceeding flyo Staff of the Commission be such as the State Government may, by order, determine.
- (2) Subject to such directions as may be issued by the State Government in this behalf, the Commission may appoint such other employees as it may think necessary for the efficient performance of its functions under this Act and on such terms and conditions of service as the Commission thinks fit.
- - (a) to prepare guidelines on matters relating to the method of recruitment and promotion of teachers;
 - (b) to hold interviews and make selection of candidates for being appointed as t achers
 - (c' to select and invite experts for the purposes specified in clause (b);
 - (a) to make recommendations regarding the appointment of selected candidates and their promotion;
 - (e) to advise the Management in matters relating to dismissal, removal or reduction in rank of teachers;
 - (1) to obtain periodical returns or other informations from institutions regarding strength of the teaching staff and the appointment, promotion, dismissal, removal, termination or reduction in rank of teachers;
 - (g) To fix the emolumentsd travelling and other allowances of the experts;
 - (h) to administer the funds placed at the disposal of the Commission;
 - (i) to perform such other duties a exercise such other powers as may be prescribed or as may be incidental or conducive to the discharge of its functions under this Act or the rules or regulations made thereunder.
- regulations made thereunder.

 10. (1) For the purpose of making appointment of a teacher, the management shall determine the number of vacancies existing or likely to fall vacant during the year of recruitment and in the case of a post other than the tesserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 and notify the vacancie to the Commission in such manner and through such officer or authority as may be prescribed.

 (2) The procedure of selection of candidates for appointment to the
- (2) The procedure of selection of candidates for appointment to the cost of teachers shall be such as may be prescribed:
- Provided that the Commission shall, with a view to inviting talented persons, give wide publicity in the State to the vacancies notified under sub-section (1).
- 11. (1) The Commission shall, as soon as may be, after the vacancy is notified under sub-section (1) of section 10, hold interviews of the candidates and prepare a panel of those found most suitable for appointment.
- (2) The panel referred to in sub-section (1) shall be forwarded by the Commission to the officer or authority referred to in sub-section (1) of section 10 in such manner as may be prescribed.
- (3) After the receipt of the panel under sub-section (2), the officer or authority concerned shall in the prescribed manner infimate the Management of the Institution the names of the selected candidates in respect of the vacancies notified under sub-section (1) of section 10.

Appropriate the standard

The management shall, within a period of one month from the state of reselpt of such intimation, issue appointment letter to such asserted candidate.

**Selected candidate.

(5) Where such selected condidate fails to join the post in such Institution within the time allowed in the appointment letter or within such extended time as the Management may allow in this behalf, or where such candidate is otherwise not available for appointment, the where such candidate is otherwise not available for appointment, the integration of the Management, officer or authority concerned may, on the request of the Management, intimate, in the prescribed manner, fresh name or names from the panel forwarded by the Commis n under sub-section (2)."

6. Chapter III of the principal Act containing sections 12, 12-A, 12-B, 12-C, 13, 14, 15, 15-A and 15-B shall be omitted.

In section 16 of the principal Act, in sub-section (1);—

(a) for the Words and figures "subject to the provisions of section 21.B" the words and figures "subject to the provisions of sections 18, 21.B" shall be substituted;

(b) for the words and figures "Uttar Pradesh Secondary Education (b) for the words and figures "Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1992 Board, the words and figures "Uttar Pradesh Secondary Education Board," the words and figures "Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Boards (Amendment) Act, 1995 be made by the Management only on the recommendation of the Commission," shall be substituted;

shall be intestituted;

(c) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely—
"Provided also that the dependent, of a teacher or other employee of an Institution dying in harness, who possesses the qualifications prescribed under the integrmediate Education Act, 1921 may be appointed as teacher in Trained Graduate's Grade in accordance with the regulations made under sub-section (4) of Section 9 of the said Act."

In Section 17 of the principal Act, in sub-section (1), for the word and figure "Chapter 111" the word and figure "Chapter 111" shall be substituted.

9. For Section 18 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely 1/2.

18. (1) Where the Management has notified a vacancy to the 1/18. (1) Where the Management has notified a vacancy to the Section 10 and the post of a teacher actually remained vacant for more than two months, the Management may appoint by direct recruitment of promotion a teacher on purely ad hoc tasks, in the manner hereinafter provided in this section.

(2) A teacher other than a Principal or Headmaster, who is to be appointed by direct recruitment may be appointed on the recommendation of the Selection Committee referred to in subsection (8)

aub-section (8).

(3) A teacher other than a Frincipal or Headmaster, who is to be appointed by promotion, may in the prescribed manner be appointed by promoting the senior most teacher, possessing preleft of the framed graduate's grade, as a lecturer, in the case of a vacancy in the lecturer's grade;

(b) In the Certificate of Teaching grade, as teacher in the trained graduate's Grade, in the case of a vacancy in the Trained graduate's grade.

(4) A vacancy in the bost of a Principle may be filled by -stramo'.

(4) A vacancy in the post of a Principal may be filled by promoting the senior most teacher in the lecturer's grade.

promoting the senior most teacher in the lecturer's grade.

(5) A vacancy in the post of a Headmaster may be filled by promoting the senior most teacher in the trained graduate's grade.

(6) For the purposes of making appointments under sub-sections (2) and (3), the Management shall determine the number of vacancies, as also the number of vacancies to be reserved for the candidates telonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes

Omission of Chapter III and sections 12 to 15-B

Amendment of

Amendment of

Eubstitution of section 18

and Other Backward Classes of citizen in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (keservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 and, as soon as may be thereafter, intimate the vacancies to be filled by direct recruitment to the District Inspector of Schools and if the Management fails to intimate the vacancies and the post of a teacher has actually remained vacant for more than three months, the District Inspector of Schools may, subject to such directions as may be issed by the Director and after verification from such institution or from his own record, determine such vacancies himself.

(7) The District Inspector of Schools shall, on receipt of intimation of vacancies or as the case may be, after determining the vacancies under sub-section (6), forward the same to the Deputy Director of Education incharge of the Region, who shall invite applications from the persons possessing qualifications prescribed under the Intermediate Education Act, 1921 or the regulations made thereunder, for ad hoc appointment to the post of teachers other than Principal or Head Master in such manner as may be prescribed.

(8) (a) For each region there shall be a Selection Committee for selection of candidates for ad hoc appointment by direct recruitment comprising—

(i) Regional Deputy Director of Education ;

(ii) Regional Deputy Director of Education (Second); (iii) Regional Assistant Director of Education (Basic).

The Regional Deputy Director of Education who is senior shall be the Chairman.

(b) The Selection Committee constituted under clause (a) shall make selection of the candidates, prepare a list of the selected candidates, allocate them to the Institutions and recommend their names to the Management for appointment under sub-section (2).

(c) The criteria and procedure for selection of candidates and the manner of preparation of list of selected candidates and their allocation to the Institution shall be such as may be prescribed.

(9) Every appointment of an ad hoc teacher under sub-section (1) shall cease to have effect from the date when the candidate recommended by the Commission joins the post.

(10) The provisions of section 21-D shall mutatis mutandis apply to the teachers who are to be appointed under the provisions of this section."

Amount 19

In section 19 of the principal Act,—

 (a) for the word "Board" the word "Commission" shall be substituted.

(b) for the word and foure "section 14" the word and figure "section 9" shall be substituted.

Amendment of section 20

 In section 20 of the principal Act, for the words "Any person authorised in this behalf by the Board" the words "The Secretary of the Commission or any other person authorised by the Commission" shall be substituted.

Amendment section 21

12. In section 21 of the principal Act, for the word "Board" the word "Commission" shall be substituted.

Amendment of sections 22, 23 and 26

13. In sections 22, 23 and 26 of the principal Act, for the words "the Board" wherever occurring, the words "the Commission" shall be substituted.

Substitution of ection 27

14. For section 27 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely !- !

10'27. All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the signature of the Secretary appointed under section 8 or any other officer authorised by the Commission." Authentication of the orders

words "the Commission" shall be substituted.

16. After section 28 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

29. The Commission may by regulation made under section 34, delegate to its Chairman or any of its Members or Officers, its power of general superintendence and, direction over the business transacted by or in the Comm. ion including the powers with regard to the expenditure incurred in connection with the maintenance of the office and internal administration of the Commission."

Amendment of section 32

17. In section 32 of the principal Act, for the words "or the rules may athereunder" the words "or the rules or regulations made thereunder" shall be substituted.

Amendment of section 33

18. In section 33 of the principal Act, in sub-section (1), for the proviso the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that no such of shall be made after two years from the date of commencement of Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Boards (Amendment) Act, 1995."

19. In section 33-B of the principal Act, in sub-section (1) in clause (a), in sub-clause (iii), for the words and figures as it stood before its omission by the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1992" the words and figures as it stood beore its substitution by the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Second Amendment) Act, 1992, shall be substituted.

Amendment of

substituted. 20. After section 33-B of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

Power to make regulations prescribing fees for holding selections, for holding interviews and laying down the procedure to be followed functions under this Arm. functions under this Ac

Provided that the first regulation under this sub-section shall be made by the State Government by notification in the Gazette.

(2) The regulations made under sub-section (1) shall not be inconsistent with the provisions of this Act or the rules made under section 35."

21. The Secondary Education Selection Boards constituted as body corporate under section 12 of the principal Act as it stood immediately before the commencement of this Ordinance, shall upon such commencement stand dissolved, and upon such dissolution—

Transitory pro-

- (a) all properties and assets of such Boards and all debts, liablitics and obligations of such Boards, whether contractual or otherwise, shall stand transferred to the Commission established under section 3, of the propinal Act;
- (b) all persons serving on deputation in such Boards shall revert to their parent departments;
- (c) the service of every whole time emply we of such Boards shall stand transferred to the Commission established under section 3 of the principal Act;
- (d) any matter pending before such Boards under Chapter III of the principal Actas it stood immediately before the commencement of this Act and any reference pending before such Boards under section 21 of the principal Act shall stand transferred to the Commission established under section 3 of the principal Act,

22. (1) The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Boards (Amendment) Ordinance, 1995 is hereby repealed.

O. 13 of 1995

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh Secondary Education Services selection Board Amendment) Ordinace, 1994, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times,

By Order, N. K. NARANG, Pramukh Sachiv.

र्षाः एसः मृत्योत - ए ्रोतः १९१४ राज्यस्य (हि०) - (2595) - 1995 - -1022 (मेक्०)।